Court of A.S.J X
Session Trial No.- 254/18/254/22

22.05.2025— अभियोजन की हाजरी है। अभियुक्ता दुखनी देवी की हाजरी है तथा तीन अभियुक्तों रामजी चौधरी, लालजी चौधरी एवं सुखाड़ी चौधरी की ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दाखिल किया गया है जिसे सिर्फ आज के लिए स्वीकार किया जाता है। वाद आज आदेश हेतू निश्चित है। वाद आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

आदेश

बचाव पक्ष की ओर से दण्ड प्रकिया सहिंता की धारा 311 के तहत दिनांक—18.12.2024 के ओदश को वापस लेने हेतु एक आवेदन दिनांक—17.02.2025 को दाखिल किया गया है जिसमें लिखा गया है कि दिनांक—18.12.2024 को अभिलेख सफाई साक्ष्य हेतू निश्चित था तथा सफाई साक्षी अवधेश पासवान पिता— जयकरण पासवान, साकिन— मिर्जापुर, थाना—तिलौथु, जिला— रोहतास, जो चौकीदार के पद पर तिलौथु थाना में पदस्थापित है, जिन्हें गवाही देने हेतु अवकाश नहीं मिलने के कारण वे न्यायालय के समक्ष गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हो सके जिस कारण न्यायालय द्वारा सफाई साक्ष्य को बंद कर, वाद को अंतिम बहस के लिए निश्चित कर दिया गया। उक्त व्यक्ति आरोप पत्र का साक्षी है। बचाव पक्ष अपने समर्थन में सफाई साक्ष्य के रूप में सनोज कुमार पिता—महेंन्द्र चौधरी, तथा दिनेश्वर चौधरी पिता—रामजी चौधरी साकिन— चोरीकाब थाना— तिलौथु जिला रोहतास का भी साक्ष्य कराना चाहते है। अतः सफाई साक्ष्य हेतू द0प्र0सं0 की धारा 311 के आवेदन को स्वीकार करते हुए दिनांक—18.12.2024 के सफाई साक्ष्य को बंद करने के आदेश को वापस लेने की कृपा की जाए।

उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक—08.05.2025 को अभियोजन की ओर से दाखिल किया गया। जिसमें अभियोजन का कहना है की अभियुक्तगण के द्वारा दाखिल आवेदन पोषिणिय नहीं है तथा अभियुक्तगण द्वारा आरोप पत्र के गवाह अवधेश पासवान का परीक्षण करवाने का कानूनी अधिकार नहीं है। अभियुक्तों की ओर से दिये गए आवेदन के कंडिका 3 में जिन गवाहों का नाम दिया गया है उनका नाम अभियोग पत्र में या आरोप पत्र में नहीं है। अतः अभियुक्तगण द्वारा दिया गया आवेदन दिनांक—17.02.2025 को खारिज किया जाए।

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है की इस वाद में अभियुक्तों का बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत दिनांक— 10.02.2020 को दर्ज किया गया था तथा उसके बाद से यह वाद सफाई साक्ष्य हेतू चल रहा था। अभियुक्तों की ओर से सफाई साक्ष्य में 7 गवाहों का साक्ष्य कराया जा चुका है तथा पर्याप्त अवसर देने के बाद दिनांक—18.12.2024 को सफाई साक्ष्य बंद करते हुए वाद को अंतिम बहस हेतू निश्चित किया गया था। इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से धारा 311 द0प्र0सं0 का आवेदन दाखिल किया गया। बचाव पक्ष को पूर्व में ही सफाई साक्ष्य हेतू पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है परंतु न्यायहित में बचाव पक्ष का आवेदन दिनांक—17.02.2025 को 1000/—रू खर्च नजारत में जमा करने पर तीन तिथियों के लिए स्वीकार किया जाता है एवं बचाव पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि खर्च जमा करने के पश्चात तीन तिथियों में अपनी ओर से सफाई साक्ष्य पूर्ण करा ले। इसके पश्चात बचाव पक्ष को और कोई मौका नहीं दिया जाएगा।

वाद दिनांक—26.06.2025 को सफाई साक्ष्य हेतू।

(लेखा0)

A.S.J X